


मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम

(वित्तीय वर्ष 2006-07)



प्रतिवेदन



महिला एवं बाल कल्याण और पोषण संकाय

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

के अन्तर्गत

मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम

(वित्तीय वर्ष 2006-07)

प्रतिवेदन

महिला एवं बाल कल्याण और पोषण संकाय

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

विषय वस्तु

1. पृष्ठ भूमि
2. आई.सी.डी.एस. एक परिचय
3. केन्द्रों की सूची
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी
 - मुख्य सेविका कार्य प्रशिक्षण
 - आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य प्रशिक्षण
 - मुख्य सेविका पुनश्चर्या प्रशिक्षण
 - आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुनश्चर्या प्रशिक्षण
 - मुख्य सेविका मातृत्व समिति प्रशिक्षण ।
 - आंगनवाड़ी केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण ।
5. संसाधन व्यक्तियों की सूची ।
6. एम0एल0टी0सी0/ए0डब्ल्यू0टी0सी0 की भौतिक रिपोर्ट (प्रारूप 1)
7. एम0एल0टी0सी0/ए0डब्ल्यू0टी0सी0 की वित्तीय रिपोर्ट (प्रारूप 2)

मध्य स्तरीय तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. पृष्ठभूमि:

समेकित बाल विकास सेवायें 0-5 वर्ष के बच्चों व महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आई0सी0डी0एस0 के क्रियान्वयन से जुड़े कर्मियों में दक्षता विकास के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षित करने के लिए योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर निरन्तर प्रशिक्षण चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में कुल 70 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। जिनमें चार मध्य स्तरीय प्रशिक्षण तथा 66 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केन्द्र हैं। एक एम0एल0टी0सी0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान पर तथा दो एम0एल0टी0सी0 क्रमशः क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर तथा क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, झॉसी में स्थापित है। 66 ए0डब्ल्यू0टी0सी0 में से 27 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों पर स्थापित है। शेष उ0प्र0 भारत स्काउट महिला कल्याण निगम, उ0प्र0 कौंसिल एवं ए0एम0एम0 तथा विभिन्न कार्यरत एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2006-2007 में तीनों एम0एल0टी0सी0 पर कुल 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें 30 पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य सेविकाओं के लिए, 3 टी0ओ0टी0 आंगनवाड़ी केन्द्र के प्रशिक्षकों के लिए तथा एक मातृ समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य सेविकाओं के लिए आयोजित किया गया। 27 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर कुल 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए आयोजित किये गये, जिनमें से 37 कार्य प्रशिक्षण तथा 163 पुनश्चर्या प्रशिक्षण हैं। इन 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 8,803 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण उद्देश्य

- प्रतिभागियों को समेकित बाल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- प्रतिभागियों को आई0सी0डी0एस0 के तीन मुख्य घटक स्वास्थ्य एवं पोषण समुदाय सहभागिता एवं शालापूर्व शिक्षा सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्रदान करना।

- प्रतिभागियों की कार्य कुशलता व क्षमता का विकास करना, जिससे वे सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें।
- प्रतिभागियों को मानीटरिंग एवं सुपरविजन करने की प्रक्रिया से अवगत कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।

2. आई.सी.डी.एस.: एक परिचय

समेकित बाल विकास सेवा योजना

राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला कल्याण विभाग द्वारा महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया। प्रारम्भ में यह योजना देश के 33 विकास खण्डों में लागू की गई। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 834 परियोजनायें चल रही हैं। प्रदेश में इस कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार निदेशालय की स्थापना की गई

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं।

- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों में उपयुक्त मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।
- शिशु मृत्यु दर, उनमें होने वाली बीमारियों, कुपोषण तथा बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
- बच्चों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संस्थाओं के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु माताओं की कुशलता व दक्षता में वृद्धि करना।

योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवायें

- स्वास्थ्य जाँच ।
- पूरक पोषाहार ।
- प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण ।
- संदर्भित सेवायें ।
- पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा ।
- प्रारम्भिक स्तर पर शिशुओं की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा ।

ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवायें—

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर एक ऑगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र पर एक ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका होती है, जिनके माध्यम से उक्त समस्त सेवायें निम्न प्रकार से लक्षित समूह को उपलब्ध कराई जाती है।

- **गर्भवती महिलायें** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवायें, प्रतिरक्षण/टिटनस का टीका, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- **धात्री महिलायें** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवायें तथा पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा।
- **जन्म से 6 माह तक के बच्चे** : स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, प्रतिरक्षण/टीका लगाना।
- **7 माह से 3 वर्ष के बच्चे** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वजन लेना, परामर्श सेवायें, प्रतिरक्षण/टीका लगाना।
- **3 से 6 वर्ष के बच्चे** : पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श सेवायें, वजन लेना व अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा।
- **किशोरी बालिकायें(11 से 18 वर्ष)** : परामर्श सेवायें, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषाहार, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना

- महिलायें (15 से 45 वर्ष) : परामर्श सेवायें, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें :

- पोषाहार (पंजीरी) – 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों/किशोरियों को प्रतिदिन 70 से 80 ग्राम तथा अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को प्रतिदिन 140 से 160 ग्राम पंजीरी (पोषाहार) दिया जाता है।
- वजन लेने वाली मशीन एवं ग्रोथ कार्ड – जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के वृद्धि/विकास का अनुश्रवण करने हेतु वजन मशीन उपलब्ध है।
- प्री स्कूल किट – प्लास्टिक गेंद, चाक, रंगीन चार्ट – अक्षर/गिनती, स्लेट, घुंघरू, ढपली आदि।
- खेल सामग्री – गेंद, कूदने वाली रस्सी, रबर रिंग, हिन्दी, अंग्रेजी अक्षर व गिनती के ब्लाक, पजल, गुड्डा-गुड़िया, घंटी आदि।
- मेडिसिन किट – बुखार/जुखाम/खांसी की दवाई, चोट व मलहम पट्टी की व्यवस्था, आंख का मलहम, पुदीन हरा, कैंची, रुई आदि।
- बर्तन व्यवस्था – 40 स्टील गिलास, 40 स्टील कटोरी, 40 थाली, 2 जग, 1 बाल्टी आदि।
- अन्य सामग्री – कैंची, ताला, नेलकटर, मंजीरा, ढोलक, घंटा, टीन का बक्सा, मेडिसिन

3. केन्द्रों की सूची

वित्तीय वर्ष 2006-07 में संस्थान के अधीन एम.एल.टी.सी./ए.डब्ल्यू.टी.सी. की सूची।
(आई0सी0डी0एस0 द्वारा प्रायोजित)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम (MLTC/AWTC)
एम.एल.टी.सी.	
1	दीनदयाल राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
2	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चरगांवा- गोरखपुर
3	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चिरगांव- झांसी
ए.डब्ल्यू.टी.सी.	
4	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मसौधा-फैजाबाद
5	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजीपुर
6	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अफीम कोठी, प्रतापगढ़
7	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रामपुर मनिहारन (सहारनपुर)
8	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बकेवर -इटावा
9	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बुलन्दशहर
10	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ौत-बागपत
11	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बसनेहटा-इलाहाबाद
12	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बाराबंकी
13	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मुरादाबाद

- 14 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, फतेहपुर
- 15 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 16 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद-सीतापुर
- 17 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बस्ती
- 18 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, दोहरीघाट मऊ
- 19 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, पीलीभीत
- 20 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, परमानन्दपुर-वाराणसी
- 21 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जानसठ-मुज्जफरनगर
- 22 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मथुरा
- 23 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दनियापुर रामपुर
- 24 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, कानपुर
- 25 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बी०के०टी० लखनऊ
- 26 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जौनपुर
- 27 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली
- 28 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, कासगंज -एटा
- 29 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ोदर खुर्द, बांदा
- 30 जिला ग्राम्य विकास संस्थान, अलीगढ़

5 संसाधन व्यक्तियों की सूची

एम.एल.टी.सी./ ए.डब्ल्यू.टी.सी. के अतिथि वार्ताकारों /संसाधन व्यक्तियों की सूची

1. आई.सी.डी.एस. निदेशालय के प्रतिनिधि।
2. निपसिड, लखनऊ के प्रतिनिधि।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम्बन्धित ब्लाक, जनपद।
5. मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना, सम्बन्धित ब्लाक।
6. चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्धित जनपद।
7. समन्वयक आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र।
8. अनुदेशक, बाल विकास।
9. अनुदेशक, पोषण एवं स्वास्थ्य।
10. अनुदेशक, समाजशास्त्र।
11. विषय विशेषज्ञ।
12. विशेषज्ञ संकाय सदस्यगण।

